158

संख्याः– 564/XXVII(1)/2011

प्रेषक,

आर.सी. अग्रवाल,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
दुगड्डा/ बागेश्वर,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1

देहरादूनः: दिनांकः 26 : सितम्बर, 2011

विषयः– **द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार विगत वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु नगरपालिका परिषदों को चतुर्थ त्रैमासिक किश्त की अवशेष धनराशि का वित्तीय वर्ष 2011–12 में संक्रमण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–47/XXVII(1)/2009 दिनांक 20 जनवरी,2009 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा उक्त शासनादेश के संलग्नानुसार समस्त नगर पालिका परिषदों को राज्य की वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 की चतुर्थ तिमाही (जनवरी से मार्च) हेतु **रू0 67564154 (रू0 छः करोड़ पिचहत्तर लाख चौसठ हजार एक सौ चव्वन मात्र)** हेतु अवमुक्त की गई थी। 12वॉ वित्त आयोग की संस्तुतियों पर नगर पालिका परिषदों को वित्तीय वर्ष 2005–06, 2006–07 तथा 2007–08 में अवमुक्त धनराशि उपयोगिता प्रमाण–पत्र ना मिलने के कारण उनको देय समनुदेशन से समायोजित किया गया था।

2– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 12वॉ वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत निकायों को अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त हो जाने के कारण रोकी गई धनराशि **रू0 1402253.00 (रू0 चौदह लाख दो हजार दो सौ तिरेप्पन मात्र)** संलग्न विवरण के अनुसार अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3– अवमुक्त की जा रही धनराशि शासनादेश सं0–47/XXVII(1)/2009 दिनांक 20 जनवरी,2009 में उल्लिखित शर्तों के अधीन ही व्यय की जायेगी।

4– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–01–नगरीय स्थानीय

निकाय–192–नगरपालिका/नगर निकाय–03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(आर.सी. अग्रवाल)
अपर सचिव, वित्त।

संख्याः– 564 (1)/XXVII(1)/2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ, उत्तराखण्ड।
4– निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, माता मन्दिर रोड, देहरादून।
5– जिलाधिकारी, पौड़ी गढवाल, बागेश्वर, उत्तराखण्ड।
6– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
7– मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, पौड़ी गढवाल/ बागेश्वर, उत्तराखण्ड।
8– विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकरी/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो।
9– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
10–एन0 आई0सी0, सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

(आर.सी. अग्रवाल)
अपर सचिव, वित्त।

शासनादेश संख्याः 564 /XXVII (i)/2011
दिनांकः 26 : सितम्बर, 2011 का संलग्नक।

द्वितीय राज्य वित्त आयोग,उत्तराखण्ड द्वारा संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु नगर पालिका परिषदों को चतुर्थ त्रैमास से रोकी गई धनराशि का संकमण।

(धनराशि रू0 में)

क0सं0	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	राज्य वित्त आयोग की संस्तुति पर वर्ष 2008–09 हेतु चतुर्थ किश्त हेतु देय संकमण	अवमुक्त धनराशि	उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के उपरान्त जारी की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1–नगर पालिका परिषद				
1-	दुगड्डा	197000	0	197000
2-	बागेश्वर	2050000	844747.000	1205253
	योग	**2247000.00**	**844747.00**	**1402253.00**

(रू0 चौदह लाख दो हजार दो सौ तिरेप्पन मात्र)

(आर.सी. अग्रवाल)
अपर सचिव, वित्त।